न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 70/2022 निर्णय दिनांकः27.11.2024
ऑनलाईन नंबरः 2022/145
जसवन्त उर्फ बसन्त पुत्र सुण्डाराम जाति बवारिया (वनबारिया) निवासी कालूबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

1. अशोक पुत्र सुण्डाराम जाति बावरिया निवासी कालूबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर। 2. ईचू 3. नानू पुत्रियां तुलछीदेवी पत्नी भूराराम जाति नायक निवासीगण कालूवास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 4. मदनलाल पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी कूलबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 5. हरदेव पुत्र शिवजी जाति नायक निवासी आर—34 नया पटेल नगर, भीलवाड़ा 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर। —प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक वादी
2. श्री रामलाल नायक अभिभाषक प्रतिवादीगण संख्या 1, 4 व 5 की ओर से।
3. प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही।
4. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अंन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से दावा निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 149 तादादी 9.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 150 तादादी 1.64 हैक्टेयर कुल तादादी 10.76 हैक्टेयर भूमि वाकेरोही श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। उक्त वादगत खसरा भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम 253/1076 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 253/1076 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 539/19368 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 539/19368 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 101/2152 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी संख्या 5 के नाम 8273/19368 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में चली आ रही है। वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत कोई खाता विभाजन नहीं हुआ है। वादगत खसरा भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में होने के कारण वादी अपने कब्जा काश्त के हिस्से पांति का समुचित उपयोग—उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादी को अपने हिस्से में सुधार कार्य करने व ऋण आदि लेने में भारी असुविधा होती है। वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार सहमतिपूर्वक मौका, कब्जा, काश्तनुसार खाता विभाजन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे व दिनांक 25.05.2022 को प्रतिवादीगण ने वादी को कहा कि हम किसी प्रकार से सहमतिपूर्वक वादगत खसरान भूमि का खाता विभाजन नहीं करवायेगे तथा कृषि भूमि को रहन, वहन, विक्रय कर खुर्द—बुर्द कर देगे! वादी अपनी खातेदारी भूमि का खाता विभाजन करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद, तरमीम करवाने का कानूनन अधिकार रखता है। यही वादी का वादाधार व वाद कारण है, जो कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 25.05.2022 को प्राप्त हुआ है। प्रतिवादीगण येनकेन प्रकारेण बिना खाता विभाजन करवाये वादगत खसरा भूमि को रहन, वहन, विक्रय करना चाहते है तथा वादी के कब्जा काश्त में जबरदस्ती दखल अन्दाजी कर वादी को खातेदारी भूमि से बेदखल करना चाहते है। वादी हर प्रकार से अपनी खातेदारी भूमि का हर प्रकार से उपयोग—उपभोग करने का अधिकार रखता है। इस आधार पर वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी अनुसूचित जनजाति का अनपढ़ व्यक्ति है। वादी के सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, परिवार [illegible] कार्ड में वादी का नाम बसन्त बनबावरी दर्ज है, जबकि वादी का वादगत खसरात [illegible] की खातेदारी में जसवन्त नाम दर्ज है। वादी के सरकारी दस्तावेजो व वादगत खसरा भूमि में दर्ज नाम जसवन्त [illegible] परिवार के लाड़ प्यार से बोले जाने वाला नाम दर्ज है, जिससे वादी को नाम में विरोधाभास होने के कारण असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जसवन्त पुत्र सुण्डाराम व बसन्त बनबावरी पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.03 17:04:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

सुण्डाराम दोनो ही नाम वादी के नाम है। वादी अपने सरकारी दस्तावेजो के मुताबिक वादगत खसरा भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम बसन्त पुत्र सुण्डाराम बावरिया घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करवाने का अधिकार रखता है। प्रतिवादी संख्या 6 को राजस्व रिकार्ड के संधारणकर्ता होने के कारण पक्षकार बनाया गया है, जिसके विरूद्ध किसी विशेष अनुतोष की मांग नहीं की गई है। प्रस्तुत दावा श्रीमान्जी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा पूर्ण न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे।

(क) कि वादगत खेत खसरा नम्बर 149 तादादी 4.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 150 तादादी 1.64 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ की भूमि में वादी के 253/1076 हिस्सा भूमि का खाता विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउन्स के आधार पर किया जावे।

(ख) कि वादी की खातेदारी भूमि में बसन्त पुत्र सुण्डाराम बावरिया (बनबावरी) घोषित कर राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 6 को दिया जावे।

(ग) कि चिरनिषेधाज्ञा की डिक्री खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावे कि वो वादी के हक, हिस्से, कब्जे, काश्त की भूमि में दखलअन्दाजी पैदा नहीं करे, ना ही कोई ऐसा कोई कृत्य या अपकृत्य करे, जिससे वादी के वैध अधिकारो पर विपरित असर पड़ता हो ।

(घ) कि खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(ड़) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने दावा हितकर वादी हो जावे, आज्ञाप्त फरमाया जावे। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 4 व 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा/ इकबाल जवाब पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 असालतन व वकालतन उपस्थित नहीं आने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। स्टेट की ओर से राज्यहित प्रभावित नहीं होने का कथन किया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी की ओर से साक्ष्य पेश कर दस्तावेज 01 से 03, 4A, 5A प्रदर्श करवायें गये। साक्ष्यवादी जिरह पूंर्ण। जिरह प्रतिवादी शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में प्रतिवादीगण एवं स्टेट को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 149 तादादी 4.12 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 150 तादादी 1.64 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ वादी का नाम जसवन्त के स्थान पर बसन्त की घोषणा की जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड शुद्ध करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ विभाजन के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखतें हुए वादी एवं प्रतिवादीगण के आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखतें हुए उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.03 17:04:16 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

प्राथमिक डिकी मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड ,अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

जसवन्त उर्फ बसन्त पुत्र सुण्डाराम जाति बवारिया (वनबारिया) निवासी कालूबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1. अशोक पुत्र सुण्डाराम जाति बावरिया निवासी कालूबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर। 2. ईचू 3. नानू पुत्रियां तुलछीदेवी पत्नी भूराराम जाति नायक निवासीगण कालूबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 4. मदनलाल पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी कूलबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 5. हरदेव पुत्र शिवजी जाति नायक निवासी आर–34 नया पटेल नगर, भीलवाड़ा 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

मुकदमा नम्बर 70/2022
दावा बाबतः विभाजन, घोषणात्मक, चिरनिषेधाज्ञा व रिकॉर्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांकः 27.11.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री ललित कुमार माय अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व श्री रामलाल नायक अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1, 4 व 5 एकतरफा कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 व पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 149 तादादी 4.12 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 150 तादादी 1.64 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ वादी का नाम जसवन्त के स्थान पर बसन्त की घोषणा की जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड शुद्ध करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ विभाजन के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखतें हुए वादी एवं प्रतिवादीगण के आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखतें हुए उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।
बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 27 माह 11 सन् 2024 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्री डूंगरगढ
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.03 17:04:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री डूंगरगढ
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)